समाहरणालय, खूँटी

(समेकित जनजाति विकास अभिकरण शाखा)
Email id – mesokhunti@gmail.com
Phone No. 06528-221592

अतिअल्पकालिन निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या – 01 वर्ष 2017–18

1. विभाग का नाम	:–	कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार रांची।
2. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता	:–	परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, खूँटी।
2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि / समय	:–	दिनांक 31.05.2017 को कार्यालय अवधि में एवं 01.06.2017 को 1.00 बजे अपराह्न तक।
3. परिमाण विपत्र ब्रिकी का स्थान	:–	परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, खूँटी। कार्यपालक अभियन्ता, विशेष प्रमण्डल, खूँटी।
4. निविदा प्राप्त करने की तिथि / समय	:–	02.06.2017 (3.00 बजे अपराह्न तक)
5. निविदा खोलने की तिथि / समय	:–	02.06.2017 (3.30 बजे अपराह्न)
6. निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान	:–	आई0टी0डी0ए0 कार्यालय, खूँटी।

7. **कार्यो की विस्तृत विवरणी**

क्र0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (रु0 में)	अग्रधन की राशि (रु0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु0 में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	निर्मला उच्च विद्यालय पिडुल के 50 शैय्या छात्रावास में पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था	9,68,800/–	19,400/–	1,250/–	दो माह
2	ज्योति कन्या उच्च विद्यालय, कर्रा के 50 शैय्या छात्रावास में पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था	9,68,800/–	19,400/–	1,250/–	दो माह

निविदा की शर्त्तः–

1. प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है, तद्नूसार परिमाण विपत्र में अंकित प्राक्कलित राशि के आधार पर अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र का मूल्य मान्य होगा।
2. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक के माध्यम से लिया जायगा, जो **परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, खूँटी** के पदनाम से निर्गत होगा एवं भारतीय स्टेट बैंक, खूँटी में भुगतेय होगा।
3. परिमाण विपत्र क्रय हेतु आवेदन के साथ सिर्फ झारखण्ड सरकार के भवन निर्माण विभाग में समुचित श्रेणी का निबंधन एवं अद्यतन आचरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, बिक्रीकर प्रमाण पत्र एवं आयकर प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिमाण विपत्र निर्गत नहीं किया जायगा। परिमाण विपत्र क्रय के समय संवेदक के पास उपरोक्त का मूल कागजात रहना चाहिए ताकि आवश्यकतानुसार इसकी जाँच की जा सके।
4. अग्रधन के रुप में पोस्ट ऑफिस द्वारा निर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (अष्टम निर्गम) या पांच वर्षीय सावधि जमा पासबुक, बैंक गांरटी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा निर्गत तीन वर्षीय / पाँच वर्षीय Fixed Deposite भी देय होगा, जो परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, खूँटी के नाम से प्रतिज्ञिप्त होगा।

5. विशेष परिस्थिति में अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निविदा रद्द करने अथवा स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
6. कीमत में वृद्धि होने पर (कार्य की प्रगति के दौरान) किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
7. कार्य स्थल पर संवेदक को साईनबोर्ड लगाना होगा, जो विभाग द्वारा अनुमोदित होगा।
8. कार्य स्थल पर संवेदक को स्वयं बिजली–पानी की व्यवस्था करनी होगी।
9. कार्य आवंटित होने पर एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ कर देना होगा, अन्यथा निविदा को रद्द/द्वितीय न्यूनतम संवेदक को आवंटित कर दिया जायगा।
10. संवेदक को समान राशि एवं समान प्रकृति की कार्य पूर्णता का कार्य अनुभव पिछले तीन वर्षो में किसी एक वित्तीय वर्ष का होना चाहिए एवं इससे संबंधित प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
11. विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय एवं खूँटी जिला के **Website** पर देखा जा सकता है। निविदा से पूर्व निविदाकार स्थल का निरीक्षण कर लेगें एवं अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि से अवगत हो लेंगे।
12. किसी भी निविदाकार के यंत्र–संयंत्र तथा पूर्व के कार्यो में उनकी Performance के आधार पर के मापदण्ड़ो पर सक्षम होने पर ही निविदा योग्यता पर विचार किया जायेगा।
13. जिस संवेदक का विभाग में पूर्व आवंटित कोई कार्य लंबित है अथवा अनका कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं है, उन्हें कार्य आवंटन पर विचार नहीं किया जायगा।
14. किसी भी संवेदक को कार्य आवंटन के उपरांत सबलेट कराना एकरारनामा के शर्तो का उल्घंन होगा एवं समुचित सूचना प्राप्त होने पर एकरारनामा रद्द करते हुए संवेदक को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायगी।
15. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति को राजपत्रित पदाधिकारी/नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित कराया जाना अनिवार्य होगा।
16. कार्य स्थल पर निर्माण कार्य हेतु आवश्यक सुविधा एवं कार्य की गुणवत्ता जांच सरकारी संस्था से कराने की जबाबदेही संवेदक की होगी।
17. योजना में व्यवहृत सामग्रियों के विरुद्ध अद्यतन देय रॉयल्टी एवं अन्य टैक्स की कटौति विपत्र से की जायगी।
18. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अनुसार एक प्रतिशत उपकर प्रत्येक चलता लेख विपत्र से काटी जायेगी।
19. सरकार द्वारा राशि प्राप्त होने पर ही निविदा के शर्तो के अनुसार कराये गये कार्य का भुगतान किया जायगा।
20. परिमाण विपत्र बिक्री की अंतिम तिथि को अपराह्न 01:00 बजे तक ही परिमाण विपत्र खरीद का आवेदन स्वीकार किया जायगा।
21. सर्शत निविदा स्वीकार नही की जाएगी।
22. निविदादाता को निविदा लिफाफा पर अपना पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या/ कार्य का नाम / एन.आई.टी. संख्या/ग्रुप संख्या लिखना अनिवार्य होगा।
23. किसी भी पक्का निर्माण कार्य के कार्य पूर्णता से एक वर्ष की अवधी तक कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि का निराकरण करना होगा।
24. निविदा प्राप्ति की तिथि को किसी कारणवश अवकाश घोषित होने पर अगले दिन निविदा प्राप्त की जायेगी।

23/5/17

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0, खूँटी।